न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—**रकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक व खाता तकसीम

नम्बर मुकदमा — 07/2024

निर्णय दिनांकः— 18.03.2024

1 बलराज सिह पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 जगतार सिह पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 जगदेव सिह पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

— **वादीगण**

बनाम

1 जसविन्द्र कौर पुत्री गुरचरण सिह पत्नी जगसीर सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 बलविन्द्रपाल कौर पुत्री गुरचरण सिह पत्नी राजविन्द्र सिह जाति जटसिख सा. कन्दुखेडा तह. व जिला श्री मुक्तसर साहिब

3 कर्मजीत कौर पुत्री गुरचरण सिह पत्नी जगसीर सिह जाति जटसिख सा. गदरखेडा तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

4 गुरप्रीत कौर पत्नी जसकरण सिह जाति जटसिख सा. संतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

5 गुरसिकन्दर सिह पुत्र जसवीर सिह जाति जटसिख सा. पतली तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

6 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

— **प्रतिवादीगण**

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्धू — अधिवक्ता वादीगण

श्री गुरमीत सिह कलसी — अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 5

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:24:02 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से [illegible] वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादीगण के पिता [illegible] ग्राम चक 8 के.एस.डी एम.जे.डी. खाता स. 15/10 खाता गुरचरण सिह ज.स. 2073—76 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

है। वादीगण व प्रति स. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। जो कि गुरचरण सिह के वारिसान है।जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 3 में दर्ज है।दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रति स. 1 ता 3 के पिता व प्रति स. 4 व 5 के नाना के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति स. 1 ता 5 ने अपने हिस्सा की आराजी का परित्याग वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. कर दिया है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 5 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार घेाषित करवाने की अधिकारी एवं दावेदार है।दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का वादीगण ने काश्त की सुविधानुसार एवं आराजी के एकीकरण के लिए घरू विभाजन कर रखा है। उक्त घरू विभाजन अनुसार वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा में दावा की दफज्ञ 5 के अनुसार आराजी आई है ।वादीगण दावा की दफा 5 के मुताबिक काबिज होकर काशत करते चले आ रहे है लेकिन उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की आप हमे दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मान लो व हमारा खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम करवा दो तो पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह वे वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये । बस यही विनाय दावा है।अतः वादीगण का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति स. 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब सहमति का जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 6 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी स. 2 का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी. सी. पेश किया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादीगण अभिभाषक ने [illegible] में कथन किया कि वादीगण दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार है। व इनका खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम किया जावे। जिस पर अभिभाषक प्रति स. 1 ता 5 ने अपनी सहमति व्यक्त की है। वादीगण के वांद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 8 के.एस.डी एम.जे.डी. खाता स. 15/10 खाता गुरचरण सिह ज.स. 2073–76 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादीगण के वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:24:02
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 8 के.एस.डी एम.जे.डी. खाता स. 15/10 खाता गुरचरण सिह ज.स. 2073–76 में गुरचरण सिह पुत्र ज्वाला सिह के नाम दर्ज कुल 0.759 समस्त आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नही है। वादीगण का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

मिजां......X...... मुब्लिक......X...... बाबत......X......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज क़ी तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ......X...... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 18.03.2024 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:24:02 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जांब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

1 बलराज सिह पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 जगतार सिह पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 जगदेव सिह पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

— **वादीगण**

बनाम

1 जसविन्द्र कौर पुत्री गुरचरण सिह पत्नी जगसीर सिह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 बलविन्द्रपाल कौर पुत्री गुरचरण सिह पत्नी राजविन्द्र सिह जाति जटसिख सा. कन्दुखेडा तह. व जिला श्री मुक्तसर साहिब

3 कर्मजीत कौर पुत्री गुरचरण सिह पत्नी जगसीर सिह जाति जटसिख सा. गदरखेडा तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

4 गुरप्रीत कौर पत्नी जसकरण सिह जाति जटसिख सा. संतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

5 गुरसिकन्दर सिह पुत्र जसवीर सिह जाति जटसिख सा. पतली तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

6 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

— **प्रतिवादीगण**

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादीगण
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 5

दावा अन्तर्गत धारा 88/53 आर.टी.ए.

मु. स . 07/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एड. वादीगण व श्री गुरमीत सिह कलसी [illegible] 1 ता 5 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण डि[illegible] किया [illegible] है कि चक 8 के.एस.डी एम.जे.डी. खाता स. 15/10 खाता गुरचरण [illegible] स. 2073–76 में गुरचरण सिह पुत्र ज्वाला सिह के नाम दर्ज कुल [illegible] आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आर[illegible] में प्रति स. 1 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नही है। वादीगण का खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।दावा की दफा 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:24:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

निम्न प्रकार से है:–

(क) **वादी स. 1 बलराज सिह पुत्र गुरचरण सिह का हिस्सा :–**

चक 8 के.एस.डी खाता स. 15/10

147/109 47 1/.253 = 0.253 है0 आराजी

(ख) **वादी स. 2 जगतार सिह पुत्र गुरचरण सिह का हिस्सा–**

चक 8 के.एस.डी खाता स.15/10

146/108 43 25/1/.228 25/2/.025 गै.मु.रास्ता = 0.253 है0

(ग) **वादी स. 2 जगदेव सिह पुत्र गुरचरण सिह का हिस्सा–**

चक 8 के.एस.डी खाता स.15/10

146/109 48 6/1/.228 6/2/.025 गै.मु.रास्ता = 0.253 है0

निज.......X........ मुब्लिक.......X....... बाबत.......X.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसंदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....X..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 18.03.2024 को जारी की गई।

नोट:– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:24:02 IST
Reason: SelfAttested